रजिस्ट्री सं. डी-(डीएन)-127 REGISTERED No. D-(DN)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 1987/भाद्र 23, 1909
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 1987/BHADRA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि तथा न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1987

सं० 79/20/86-न्याय.—परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा (1) उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 2 अक्तूबर, 1987 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिससे उपर्युक्त अधिनियम सिक्किम राज्य में लागू होगा ।

एन० एन० शर्मा,
निदेशक ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 1987

No. 79/20/86-Jus.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984), the Central Government hereby appoints the 2nd October, 1987, as the date on which the said Act shall come into force in the State of Sikkim.

N. N. SHARMA,
Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987